



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

अजमेर-305001(राज.)

दूरभाष : 0145-2420597(कार्या.)

अरविन्द कुमार सेंगवा
आर.ए.एस
सचिव

क्रमांक : बैठि परीक्षा/SPL 1-33/2021/

दिनांक: 29-6-2021

अति आवश्यक


समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक, राजस्थान

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिवेदन (संलग्न) को आधार मानते हुए विद्यालय में “अंक निर्धारण समितियाँ” द्वारा कक्षा-10 एवं कक्षा-12 के विद्यार्थियों का अंकभार निर्धारण करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखना है—

- विद्यालयों से विद्यार्थियों के विषयवार सत्रांक प्राप्त होने का कार्य प्रगति पर है, जिन विद्यालयों ने अब तक सत्रांक अपलोड नहीं किये हैं ऐसे सभी विद्यालयों को आवश्यक रूप से 01 जुलाई तक बोर्ड पोर्टल पर सत्रांक अपलोड करने हैं।
- जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा हो चुकी है, उनके प्राप्तांक विद्यालयों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड कर दिये होंगे। शेष रही प्रायोगिक परीक्षाएँ शीघ्र आयोजित होगी तथा पूर्व की भांति प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक परीक्षक द्वारा ऑनलाईन बोर्ड पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- अन्य सभी विषयों के लिये दिये गये निर्देशानुसार अंकभार की गणना कर अंकों की प्रविष्टियाँ ऑनलाईन करनी हैं। इस हेतु संलग्न प्रपत्र एवं नमूना पत्र को संज्ञान में रखते हुए कक्षा-12 के अंकों को दिनांक 07 जुलाई, 2021 तक तथा कक्षा-10 के अंकों को दिनांक 12 जुलाई, 2021 तक ऑनलाईन भेजना अति आवश्यक है।
- कक्षा-12 के प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों के अंकों के अंकभार की गणना कक्षा-12 के अन्य विषयों के समान ही भौंजे। इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की समाविष्टि करते समय परीक्षा परिणाम बनाने के स्तर पर इनका आनुपातिक अंकभार कर लिया जायेगा, उदाहरण : भौतिकी में आप द्वारा दिये गये 40% कक्षा-10 के अंकों, कक्षा-11 के प्रदत्त 20% अंकों तथा कक्षा-12 के 20% अंकों से क्रमशः 28 अंकों में से कक्षा-10 का, 14 अंकों में से कक्षा-11 का तथा 14 अंकों का कक्षा-12 की गणना बोर्ड स्तर पर कर ली जावेगी। अंकभार हेतु प्रविष्टियां संलग्न पत्र/प्रपत्र अनुसार उसी पोर्टल पर लोगिन होकर ऑनलाईन भरी जानी है जिस पर सत्रांक भरे जा रहे हैं।
- कक्षा-08 की परीक्षा 2019 के परिणाम में ग्रेड का अंकन हैं। सभी विद्यालयों के पास कक्षा-08 का टीआर उपलब्ध हैं जैसा कि बोर्ड द्वारा टीआर रजिस्टर (टेबुलेशन रजिस्टर) तत्समय ही संबंधित डाईट्स को भिजवा दिये गये थे फिर भी अंक निर्धारण समितियों के सुविधार्थ बोर्ड द्वारा 8वीं की परीक्षा, 2019 का टीआर (Excel Format में) पुनः समस्त प्रधानाचार्य डाईट्स एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को भिजवा दिया गया है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में उक्त टीआर अपने स्तर से ऑनलाईन भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि अंक निर्धारण समितियों को कोई असुविधा न हो।
- सभी शिक्षा अधिकारियों से आग्रह है कि बोर्ड परीक्षा परिणाम, 2021 से संबंधित सभी विद्यालयों को इस कार्य को समय पर पूर्ण करने हेतु संबंधित विद्यालय प्रधानों को पाबन्द करावे।

कृपया इस पत्र को सचौच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग – 1. राजस्थान सरकार (शिक्षा ग्रुप-6) के आदेश दिनांक 25.06.2021
2. प्रपत्र कक्षा 10 एवं कक्षा 12 हेतु।


सचिव

कक्षा-12

विद्यालय का नाम व पता

क्र. सं.	रोल नं. (कक्षा-12)	विद्यार्थी का नाम	रोल नं. (कक्षा-10)	कक्षा 10 का परीक्षा परीक्षा वर्ष	कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2019 या विगत वर्ष का अंकमार जिन तीन विषयों में अधिकतम अंक है उनके औसत का 40% अंक (M.M. 40)	कक्षा- 11 के अंतिम कुल प्राप्तांकों का 20% अंक (M.M. 20)	कक्षा-12 का सतत मूल्यांकन एवं ओवरऑल प्रफोरेंस के आधार पर 20% अंकमार (M.M. 20)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							

शाला प्रधान

कक्षाध्यापक

विषयाध्यापक

कक्षा-10

विद्यालय का नाम व पता

क्र. सं.	रोल नं. (कक्षा-10)	विद्यार्थी का नाम	रोल नं. (कक्षा-08)	कक्षा-08 परीक्षा वर्ष	कक्षा-08 या विगत वर्ष का अंकभार : तीन विषयों में अधिकतम प्राप्तांकों के औसत का 45% अंक (M.M. 45)	विगत वर्ष 2019 कक्षा-08 बोर्ड परीक्षा 2019 या विगत वर्ष का अंकभार : तीन विषयों में अधिकतम प्राप्तांकों के औसत का 45% अंक (M.M. 25)	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	स.वि.	तु. भाषा
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
18.												
19.												
20.												

शाला प्रधान

कक्षाध्यापक

विषयाध्यापक

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प. 3(4)शिक्षा-6 / 2021

जयपुर, दिनांक : 25 June, 2021

-: आदेश :-

राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य में बोर्ड कक्षाओं (कक्षा 10 व 12) की सत्र 2020-21 की परीक्षाएं निरस्त की जा चुकी हैं। इन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए समसंख्यक आदेश दिनांक 18.06.2021 को समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिनांक 22.06.2021 को प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार परीक्षा परिणाम निम्नानुसार अंक विभाजन के आधार पर जारी करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है : -

अंक निर्धारण हेतु आधार :-

कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम हेतु अंक निर्धारण :-

गैर प्रायोगिक विषय हेतु :-

कक्षा 12 का सत्रांक - सैद्धान्तिक भाग का 20 प्रतिशत भारांक

कक्षा 12 के सतत स्व मूल्यांकन - सैद्धान्तिक भाग का 20 प्रतिशत भारांक
(विद्यालय स्तर पर समिति द्वारा)

कक्षा 11 के कुल बने प्राप्तांक - अंतिम प्राप्तांकों के 20 प्रतिशत भारांक

कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक - प्राप्तांकों के 40 प्रतिशत

(जिन तीन विषयों में अधिकतम अंक है, का औसत)

कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2019 का अंकभार	विगत वर्ष कक्षा 11 हेतु प्रदत अंकों का अंकभार	कक्षा 12 का अंकभार	सत्रांक
40 प्रतिशत	20 प्रतिशत	20 प्रतिशत	20 प्रतिशत अंक
40 अंक	20 अंक	20 अंक	20 अंक

~~प्रायोगिक विषय हेतु~~ - अंकों का वितरण विषयानुसार होगा। ~~प्रायोगिक विषयों~~ में पूर्व के वर्षों की भाँति सत्रांक सैद्धान्तिक परीक्षा के कुल अंकों का 20 प्रतिशत रहेगा।

प्रायोगिक परीक्षाओं वाले विषय के अंक भार की गणना बोर्ड स्तर पर कर ली जायेगी।
इन विषयों के अंक आप उपरोक्त सारिणी अनुसार ही भेजें।

कक्षा 10 के परिणाम में अंक निर्धारण के लिए:-

कक्षा 10 का सत्रांक

- रौद्रान्तिक भाग का 20 प्रतिशत भरांक

कक्षा 10 के सतत स्वमूल्यांकन -रौद्रान्तिक भाग का 10 प्रतिशत भारांक

(विद्यालय स्तर पर समिति द्वारा)

कक्षा 09 के कुल बने प्राप्ताक -अंतिम प्राप्ताकों के 25 प्रतिशत भारांक

कक्षा 08 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक -प्राप्ताकों के 45 प्रतिशत

(जिन तीन विषयों में अधिकतम अंक है का औसत)

कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2019 का अंकभार	विगत वर्ष कक्षा 9 हेतु प्रदत अंकों का अंकभार	कक्षा 10 का अंकभार	सत्रांक
45 प्रतिशत	25 प्रतिशत	10 प्रतिशत	पूर्व के वर्षों की भाँति 20 प्रतिशत अंक
45	25	10	20

विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन अंक निर्धारण हेतु समिति:-

वर्तमान सत्र में तमाम विपरीत परिस्थितियों के चलते विद्यार्थियों द्वारा स्माइल, स्माइल-2, आओ घर से सीखें, e-कक्षा तथा कक्षा शिक्षण के माध्यम से अपनी शिक्षा में निरन्तरता बनाए रखी है। अतः उक्त आधारों पर विद्यार्थी की ओवर ऑल परफारमेंस के आधार पर अंक निर्धारित किए जायेंगे। उक्त अंकों के निर्धारण हेतु शाला स्तर पर अंक निर्धारण समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति विद्यार्थियों के सतत प्रदर्शन एवं भागीदारी के आधार सत्र पर्यन्त किए अवलोकन के आधार आकलन कर अंक निर्धारण करेगी।

- अंक निर्धारण समिति निम्नांकित प्रकार से रखी जायेगी :-

1. शाला प्रधान— अध्यक्ष
2. कक्षाध्यापक—सदस्य
3. विषय अध्यापन करवाने वाला शिक्षक— सदस्य

कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाएं—

विद्यालयों हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जैसी अनुमति गृह विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा प्राप्त होती है तदनुसार शेष रही प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाया जायेगा।

प्राइवेट विद्यार्थी एवं श्रेणी सुधार हेतु पूर्व में पंजीकृत विद्यार्थी—

प्राइवेट अथवा ऐसे विद्यार्थी, जिन्होने श्रेणी सुधार हेतु अथवा किसी एक विषय की परीक्षा हेतु आवेदन किया है। बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा आयोजन हो उन्हें अवसर प्रदान किया जायेगा।

नियमित परीक्षा हेतु आवेदन के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय श्रेणियों के विद्यार्थियों को भी बोर्ड द्वारा जब परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें शमिलित होना होगा।

अंक योजना में पूरक आए अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट विद्यार्थी :—

बोर्ड परीक्षा में पूरक रहे विद्यार्थियों को बोर्ड द्वारा जब पूरक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तब परीक्षा देनी होगी।

इस अंक विभाजन से असंतुष्ट विद्यार्थी को बोर्ड द्वारा जब परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तब परीक्षा दे सकेंगे। इस हेतु वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जायेगा तथा वैकल्पिक परीक्षा के ही अंकों को ही अन्तिम परिणाम के रूप में माना जायेगा।

कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 31.07.2021 तक जारी किया जाना है एवं कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 45 दिवस में जारी किया जायेगा।

उक्त स्वीकृति के सन्दर्भ में प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन हेतु गृह विभाग की स्वीकृति उपरान्त पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

(अप्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

(रामानंद शर्मा)
शासन उप सचिव